(d) There is a proposal to amend Delhi Land (Restrictions on Transfer) Act, 1972 to provide for prior permission in writing of the competent authority and registration of the Power of Attorney under Registration Act, 1908 in the case of lands notified under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1984.

Cadre review of Central Information Service

462. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CIS cadre review was conducted only once so far in 1982, by his Ministry since the initial constitution of the cadre in 1960, in violation of the triennial cadre review scheme introduced in 1967; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) and (b) Yes Sir. It is a fact that only one cadre review has been conducted so far. There was an element of delay due to various administrative reasons. Steps have been taken to avoid the same.

व्यावसायिक प्रयोजन के लिए रिहायशी मकानों का इस्तेमाल

463. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के डिफेन्स कालोनी, ग्रेटर कैलास और लाजपत नगर क्षेत्रों में दुकानों, नर्सिंग होम, कार बाजार और शो-रूम आदि जैसे व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए रिहायसी मकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): (क) जी, हां। कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) डिफेन्स कालोनी और लाजपत नगर जो पुनर्वास कालोनियां हैं, पट्टाकर्त्ता के रूप में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा निरीक्षणों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के तहत आती है। इन कालोनियों में पट्टों की शर्तों के अन्तर्गत कार्रवाई पड़ोसियों से शिकायतें प्राप्त होने पर या विक्रय अनुमति आदि के लिए पट्टाधारियों से प्राप्त अनुरोधों पर ही की जाती है और तभी निरीक्षण किया जाता है। ग्रेटर कैलास भूमि तथा विकास कार्यालय के पट्टा प्रशासन के तहत नहीं है। तथापि, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण अनरूप उपयोग के लिए तीन कालोनियों में अभियोजन की कार्यवाही करता है। दिल्ली नगर निगम भी दुरुपयोग प्रसार वसूल करने के पश्चात् ही दुरुपयोग के नियमिति करण के लिए कार्रवाई करता है और जहां दुरुपयोग नियमितीकरण योग्य नही है, वहां दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की कार्रवाही की जाती है।

निर्वाह कृषि का वाणिज्यिक कृषि में बदला जाना

464. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है; और

(ख) इसे वाणिज्यिक कृषि में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं बनाई गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) मोटे तौर पर निर्वाह खेती छोटे और सीमांत किसानों

से जुड़ी हुई है। 1976–77 की कृषि संगणना के अनुसार यह कुल जोतों का 72.7 प्रतिशत है और खेती वाली कुल भूमि का 23.5 प्रतिशत बैठता है। जहां तक खाद्यन्नों का संबंध है, जिस क्षेत्र में खाद्यन्नों की खती की जाती है, उसके 29.3 प्रतिशत भाग में छोटे और सीमान्त किसान खेती करते है।

(ख) छोटे और सीमांत किसानों की खेती को बेहतर बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानो को सहायता देने की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है, ताकि छोटे और सीमांत किसान लघु सिचाई कार्यो, भूमि विकास कार्यों और उन्नत बीजों, उर्वरकों के मिनिकिटों आदि के उपयोग से अपना उत्पादन बढ़ा सकें। यह योजना देश के 5047 आई0 आर0 डी0 खण्डों में से प्रत्येक के लिए मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य फसल-विशेष, केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं है, जिनके अंतर्गत राज्यों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जिसमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में खामियां

465. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **कृषि और ग्रामीण** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के हाल के मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या-क्या खामियां पाई गई ; और

(ख) उन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) निम्नलिखित खामियां पाई गई हैं :—

(1) लाभार्थियों में सदैव निर्धनतम व्यक्ति ही शामिल नहीं होते।

2. आर्थिक सहायता देने में विलम्ब तथा लाभार्थियों को पूरी राशि न मिलने की शिकायतें भी थी।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां कभी-कभी स्थानीय परिस्थितियों के पूरी तरह अनकूल नहीं होतीं।

4. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त कुशलता को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई परिसम्पतियों के साथ सम्बद्ध करने में कुछ गुंजाइश प्रतीत होती है।

(ख) कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया जा रहा है तथा इन कमियों को दूर करने हेतु वर्तमान पद्धति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं का खुले में पड़े रहना

466. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदने के बाद इस वर्ष हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश मे कितना गेहूं ढुलाई न होने के कारण खुले मे पड़ा रहा; और

(ख) गेहूं के खुले मे पड़े रहने के परिणामस्वरूप अनुमानत कितनी हानि हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 31–5–1985 तक उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में खुले भण्डारण में पोलीथीन की चादरों मे ढक कर 21.20 लाख मीटरी टन गेहूं रखा गया था। इस स्टाक को हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं।

(ख) इस समय इस स्टाक की हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।